किये के बावजूद अनुपस्थित। बहस
सुनी गयी। पत्रावली आदेश हेतु
दिनांक 27/10/20 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा.

27.10.20	वादीगण पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1,5,6,7,12 ता 24 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने न्यायालय में वर्तमान वाद पत्र रेकर्ड दुरुस्ती व आराजी तकसीम करने का प्रस्तुत किया। वाद पत्र तारीख 15.3.05 को गलत कार्यवाही करवाने का कथन किया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में बंटवारे की व्यवस्था है, धारा 53(2) राजस्व के तहत के अनुसार पक्षकारान को सहमति से बंटवारा का प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव भूमि धारक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान जिस पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर है। भूमिधारक के द्वारा जो विभाजन आदेश दिनांक 15-3-05 को पारित किया, उसे आज तारीख तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि विभाजन प्रस्ताव तारीख 15.3.05 की पालना भी राजस्व रेकर्ड में 15-8-05 को ही म्यूटेशन संख्या 753 दिनांक 15-8-05 की स्वीकृति भी हो चुकी है तथा पक्षकारान की पारित विभाजन अदा हो चुकी है। भूमिधारक द्वारा पारित विभाजन को इस न्यायालय में प्रस्ताव की विधि सफलता को चुनौती नहीं किया जा सकता है, वाद में सहमति से हुये विभाजन आदेश के रहते वर्तमान वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है, वहीं पर प्रारम्भिक स्तर पर ही विधि के विरुद्ध बिन्दु को निर्णित करते हुये वाद पत्र रिजेक्ट किया जाना चाहिये।
	प्रार्थना पत्र पर दिनांक 20.5.17 को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील वादी को जरिये जवाब उसी दिन उपलब्ध करवायी गयी, जवाब हेतु 12.6.17 को मुकर्रर की किन्तु नियत 17 जुलाई तारीख पर जवाब हेतु अवसर देने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र वादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया।
सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	जवाब पेश नहीं करने पर बहस सुनी गयी, पत्रावली संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व पठन किया। ------

------ पत्रावली के संलग्न तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.3.05 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रभारी अधिकारी तहसीलदार पचपदरा द्वारा सहमति से किये गये विभाजन के आधार पर रेकर्ड जमाबंदी में अमलदरामद का आदेश हुआ, जिसकी पालना में म्यूटेशन संख्या 753 दिनांक 15-8-2005 को ही पारित हो चुका है। जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है तथा जमाबंदी खतौनियों में खाते भी अलग-अलग है।

विधि अनुसार तहसीलदार द्वारा पारित सहमति विभाजन के आदेश की अपील को सुनने का तथा बंटवारा आदेश की वैधता को जांचने का परखने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अतः बाद गौर वाद पत्र बारीगवा विधि द्वारा वर्जित होने से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O7 R11 D-RW-151 CPC स्वीकार कर वाद पत्र वादी विधि द्वारा वर्जित होने से रिजेक्ट कर खारीज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया, डिक्री फर्द मुर्तीब हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा